


21.6.2022

फर्द अहकाम  
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)SN

<b>प्रार्थी</b> राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	<b>अप्रार्थी</b> किशना पुत्र तेजा, चूना पुत्र नारायण, परमेश्वरी पत्नी बोदूराम, वगैरह जाति जाट शिव
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957	
प्रार्थना-पत्र नम्बर 94 / 2022 <span style="float: right;">GCMS No. 2022/ 136</span>	
<b>तारीख हुकम</b>	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.06.2022	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। ग्राम शिव पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 106 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है दो खातेदारो के अलावा अन्य सम्बन्धित खातेदारान की प्रकरण में सहमती नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का संबंधित खातेदारो द्वारा लिखित स्वरूप सहमती पत्र या अनापत्ती प्रस्तुत हुई है। अतः प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>कुचामन सिटी ( नागौर )</b></p>

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम को तामील में  
जारी हुए

HB